प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
संस्थान, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 01 जून, 2021

विषयः-डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के माइक्रोबायोलाजी विभाग में 01 सहायक आचार्य के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-5074/ Estb.(Gen)/RMLIMS/2021, दिनांक 05 फरवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के माइक्रोबायोलाजी विभाग में शैक्षणिक संवर्ग के 01 सहायक आचार्य के पद को निम्नलिखित विवरण/शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

क्र0	**विभाग का नाम**	**पद नाम**	**पदों की संख्या**	**वेतनमान 7वें (वेतन मैट्रिक्स में)**	**शैक्षणिक अर्हता**
1.	माइक्रोबायोलॉजी	असिस्टेंट प्रोफेसर	01	लेवल-12 **(101500-167400)**	As Provided in Dr. RMLIMS ACT.2015
		कुल योग-	01		

(1) यह पद पूर्णत: अस्थायी होगा तथा दिनांक 28 फरवरी, 2022 अथवा इससे पूर्व पद की आवश्यकता न रहने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए सृजित माना जायेगा। इसके बाद यदि पद की अपरिहार्यता बनी रहती है तो निदेशक, संस्थान द्वारा इसके औचित्य का परीक्षण करते हुए सुसंगत मानक सहित प्रस्ताव पुन: उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उक्त सृजित किये जा रहे पद के सम्बन्ध में बतायी गयी कार्यात्मक/ वास्तवितक आवश्यकता एवं मानक/शैक्षिक अर्हता/ भर्ती का स्रोत आदि के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उक्त पद पर भर्ती/ नियुक्ति की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था/नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(4) संस्थान द्वारा पदनाम/ वेतनमान के सम्बन्ध में निर्धारित व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्ष "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रिशक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा- 0325- डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3-177 /दस-2021-22, दिनांक 31 मई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- उपरोक्त-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी /वित्त नियंत्रक, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
10. वित्त ई-3/ नियोजन अनुभाग-4/वित्त (वे0आ0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in